उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-107/2016/1744/41-2016-48 यो0/12

लखनऊ दिनांक 06 अक्टूबर, 2016

शासनादेश संख्या-106/2016/1619/41-2016-48 यो0/12, दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 का शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों का उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु छठी एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू0 29.48 करोड धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-106/2016/1619/41-2016-48 यो0/12, दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-03 की दसवीं एवं ग्यारहवीं पंक्ति में वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या- 80/2016/977/41-2016-48 यो0/12, दिनांक 29.06.2016 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0 45.00 करोड के स्थान पर त्रुटिवश पंचम किश्त के रूप में रू0 45.00 लाख अंकित हो गया है। अत: सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 03.10.2016 के प्रस्तर-03 की ग्यारहवीं पंक्ति में अंकित धनराशि **रू0 45.00 लाख के स्थान पर धनराशि रू0 45.00 करोड पढा जाय।**

सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिव कुमार पाठक

उप सचिव।

संख्या-107/2016/1744 (1)/41-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।

2- प्रधान महालेखाकार (सिविल) आडिट, उत्तर प्रदेश, सत्य निष्ठा भवन, 15-ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।

3- मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी, आगरा।

4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4

8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10. निदेशक, सी0 एन्ड डी0एस0, जल निगम, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
12- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।